



सत्यमेव जयते

मुख्य मंत्री कार्यालय

OFFICE OF UDM

Dy. No. 4536

Date 20.12.11

C-3

दूरभाष : 23392020

23392030

फैक्स : 23392111

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
दिल्ली सचिवालय, आई. पी. एस्टेट
नई दिल्ली - 110113

माननीया मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार के कार्यालय में प्राप्त डॉ० महेन्द्र नागपाल, अध्यक्ष, शिक्षा समिति, दिल्ली नगर निगम द्वारा माननीय शहरी विकास मंत्री महोदय को सम्बोधित पत्र दिनांक 23 नवम्बर, 2011 की प्रतिलिपि जो कि निजी प्राथमिक विद्यालयों को मान्यता प्रदान करने के मामले के बारे में है, स्वतःस्पष्ट, मूल रूप में उपयुक्त कार्यवाही हेतु संलग्न है।

पूजा जोशी

(डॉ० पूजा जोशी)
मुख्यमंत्री के संयुक्त सचिव

निजी सचिव, माननीय शहरी विकास मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली

संख्या: मुमं / पीजीसी / वीआईपी / 11 / 06 / 5629 दिनांक: 07-12-2011

YA For IB

डॉ. महेन्द्र नागपाल

Dr. Mahender Nagpal

(LL.B., Ph.D.), Councillor

Chairman :

Education Committee

Municipal Corporation of Delhi

Member :

1. Law & General Purposes Committee
2. Naming & Renaming of Street etc. Committee

Ref. No. :193.....



C-3

Phone : Off. : 23228107

Res. : 27431152

Mob. : 9811062006

9958693067

Office : Shyama Prasad Mukherjee Bldg.
Room No. 107, 1st Floor
A-Block, Civic Centre

Res. : B-125, Ashok Vihar
Phase-I, Delhi-110052

Dated : 23/11/11

आदरणीय श्री कमलनाथ राय जी,

सप्रेम नमस्कार,

दिल्ली नगर निगम शिक्षा विभाग द्वारा निजी प्राथमिक विद्यालयों को मान्यता प्रदान की जाती है। विद्यालयों को मान्यता प्रदान करने के लिए कुछ नियमों का (नार्मस) पालन करना अनिवार्य होता है। मास्टर प्लान आने से पहले इन्हीं नियमों (नार्मस) में से एक विद्यालय का एरिया 200 वर्ग मीटर का होना अनिवार्य था लेकिन नये मास्टर प्लान के अन्तर्गत यह एरिया 800 वर्ग मीटर हो गया है। ऐसे में जिन आवेदनकर्ताओं ने मास्टर प्लान आने से पहले आवेदन किया था उन विद्यालयों को भी शिक्षा विभाग ने मान्यता देने से रोक दिया जिससे सभी आवेदनकर्ता अपने विद्यालय की मान्यता के लिए आग्रह करते हैं इसलिए शिक्षा समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि उन विद्यालयों को भी मान्यता दी जाए जिन्होंने मास्टर प्लान आने से पहले आवेदन किया था एवं जिनका सर्वे भी हो चुका है। ऐसे 35 स्कूल हैं जिनको 3 वर्ष पहले मान्यता मिल जानी चाहिए थी।

शिक्षा का अधिकार अप्रैल 2012 तक लागू होना है, बच्चों को प्रवेश से वंचित नहीं रखा जा सकता है उसके लिए हमें सभी विद्यालयों को मान्यता देना आवश्यक है। दिल्ली जैसे शहर में 800 वर्ग मीटर स्थान का अभाव है। अतः मास्टर प्लान में 200 वर्ग मीटर स्थान को ही रखा जाए तो उचित रहेगा एवं बिना मान्यता प्राप्त स्कूलों को मान्यता दे दी जाए जो नियम का पालन कर रहे हैं।

इस सम्बन्ध में हमने पहले भी एक पत्र पूर्व शहरी विकास मंत्री श्री जयपाल रेड्डी जी को लिखा है, परन्तु अभी तक इस सम्बन्ध में कोई कार्रवाई की कोई जानकारी हमारे पास नहीं आई है। अतः इस सम्बन्ध में आपसे पुनः निवेदन है कि इस समस्या का कोई ठोस हल निकाला जाए। आशा है कि आप मामले की गम्भीरता को समझते हुए तुरन्त निर्णय लेकर सूचित करेंगे।

धन्यवाद।

केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री,

भारत सरकार, नई दिल्ली

प्रतिलिपि:-

1. माननीय मुख्यमंत्री, दिल्ली

29/11/11
PS to Min (UD)
28/11/2011
21/12/11

डॉ. महेन्द्र नागपाल